Australian Government

तथ्य पत्रक

शक्तियाँ और प्रतिरक्षण ढाँचा आपको कैसे प्रभावित करता है

सभी ऑस्ट्रेलियावासियों को आधुनिक, विश्वसनीय दूरसंचार सेवाओं की सुलभता प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, चाहे वे जहाँ भी रहते हों या व्यवसाय करते हों।

ये अनिवार्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को दूरसंचार बुनियादी ढाँचे के परिनियोजन से संबंधित विशिष्ट गतिविधियाँ करने की शक्तियाँ प्रदान की और राज्य एवं राज्य-क्षेत्र के कुछ कानूनों से प्रतिरक्षण प्रदान किया। इसे वाहक की शक्तियाँ और प्रतिरक्षण ढाँचे के रूप में जाना जाता है।

यह विश्वसनीय, किफायती दूरसंचार सेवाएँ सुलभ होने की समुदाय की आवश्यकता का संतुलन इस तथ्य के साथ सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि स्थानीय सरकार और संपत्तियों के स्वामियों को इन सेवाओं के परिनियोजन के बारे में अपनी बात कहने का अवसर मिल पाए।

THE SCIENCE OF SAFE CONNECTION

दूरसंचार प्रदाता इस ढाँचे के तहत क्या कर सकते हैं?

दूरसंचार अधिनियम 1997 (Telecommunications Act 1997) दूरसंचार कंपनियों को भूमि का निरीक्षण करने, 'निम्न प्रभाव' वाली सुविधाएँ स्थापित करने और दूरसंचार सुविधाओं का रख-रखाव करने की शक्ति देता है। निम्न प्रभाव वाली सुविधाएँ वे सुविधाएँ होती हैं, जो:

- नेटवर्क के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक होती हैं
- परिदृश्य पर कम प्रभाव डालती हैं, और
- जिनकी स्थापना या परिचालन के दौरान संभावित रूप से सामुदायिक व्यवधान पैदा नहीं होने की संभावना रहती है।

दूरसंचार कंपनियाँ समुदाय के लिए लैंडलाइन और मोबाइल संचार सेवाओं, इन दोनों को समर्थित करने वाले बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने के प्रयोजन से ऐसे उपकरणों के प्रयोग के लिए इन शक्तियों का उपयोग करती हैं, जो प्रकार, आकार, रंग और स्थल सीमाओं के कड़े मानकों के तहत आते हैं।

निम्न प्रभाव वाली सुविधाओं को रोल आउट करते समय दूरसंचार कंपनियों को अच्छी इंजीनियरिंग कार्यप्रथाएँ प्रदर्शित करनी होती हैं और भूस्वामियों द्वारा उनकी भूमि के उपयोग में यथासंभव कम से कम हस्तक्षेप करना होता है।

मोबाइल फोन बेस स्टेशन परिनियोजन हेतु उद्योग संहिता (Industry Code for Mobile Phone Base Station Deployment) अतिरिक्त प्रक्रियाएँ नियत करता है, जिनका दूरसंचार कंपनियों को निम्न प्रभाव वाली सुविधाएँ स्थापित करते समय पालन करना होता है। सामान्य रूप से ये प्रक्रियाएँ नए मोनोपोल्स या खम्भों जैसी बड़े आकार की सुविधाओं के लिए लागू नहीं होती हैं, जो राज्य और राज्य-क्षेत्र के नियोजन कानूनों के अंतर्गत आती हैं।

भूस्वामियों को संलग्न बनाए रखने के लिए अवरचित

ये स्थापनाएँ और गतिविधियाँ जिन लोगों के स्वामित्व के अधीन भूमि पर की जाती हैं, अक्सर वे लोग ही प्रस्तावित परिनियोजन के बारे में सबसे अधिक चिंतित होते हैं और ये समझ में आने वाली बात भी है।

यदि दूरसंचार कंपनियाँ आगामी कार्यों को पूरा करने की योजना बना रही हैं, जिसमें दूरसंचार बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने की योजनाएँ भी शामिल हैं, तो उन्हें भूस्वामियों और कब्जाधारियों को सूचित करने की आवश्यकता है। भूमि पर किसी भी गतिविधि को शुरू करने से कम से कम 10 दिन पहले सूचना भेजी जानी चाहिए।

इस सूचना में भूस्वामियों को इन विषयों के बारे में बताया जाना होगा:

- आपत्ति करने का उनका अधिकार
- आपत्ति के लिए उपलब्ध आधार
- दूरसंचार उद्योग लोकपाल (टीआईओ) द्वारा निर्णय की समीक्षा करवाने का अधिकार, और
- आपत्तियाँ दर्ज करने की समय-सीमाएँ।

दूरसंचार कंपनियों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे प्रस्तावित दूरसंचार परिनियोजन के बारे में समुदायों के साथ सार्थक और संवेदनशील तरीके से संलग्न होंगी।

उद्योग संहिता दूरसंचार कंपनियों के अनिवार्य अनुपालन के लिए अधिसूचना प्रक्रियाएँ निर्धारित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोबाइल फोन बेस स्टेशन निर्मित करने से पहले भूस्वामियों, परिषदों और समुदाय को सूचित किया जाता है, और परिषद तथा समुदाय के विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

क्या आप नए दूरसंचार बुनियादी ढाँचे या किसी विशिष्ट स्थापना के बारे में चिंतित हैं?

प्रस्तावित और वर्तमान मोबाइल फोन बेस स्टेशनों के बारे में जानकारी रेडियो फ्रीक्वेंसी राष्ट्रीय स्थल अभिलेख (Radio Frequency National Site Archive) की वेबसाइट **www.rfnsa.com.au** पर उपलब्ध है।

यदि आप इस बारे में चिंतित हैं कि किसी दूरसंचार कंपनी ने उद्योग संहिता के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन नहीं किया है, तो आप ऑस्ट्रेलियाई संचार एवं मीडिया प्राधिकरण (एसीएमए) [Australian Communications and Media Authority (ACMA)] के पास शिकायत दर्ज कर सकते/सकती हैं। आप उनसे **1300 850 115** पर या ईमेल से **info@acma.gov.au** पर संपर्क कर सकते/सकती हैं।

THE SCIENCE OF SAFE CONNECTION